

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(50)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 07.11.2019 व संशोधित पत्र दिनांक 01.01.2020 के द्वारा श्री कैलाश भीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि सांभरिया, बरसी, जयपुर का परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 44 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	19.12.2016 से 22.12.2016	04 दिन
	10.01.2017 से 25.01.2017	16 दिन
	01.03.2017 से 24.03.2017	24 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	44 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.04.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 के प्रावधानुसार कार्मिक द्वारा बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+44) 104 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।


यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 14/01/2020

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर